UPGZ010074732026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,गाजियाबाद।

उपस्थितिः श्री नीरज गौतम (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.ID No-UP 6260

CNRNo UPGZ01007473

कम्प्यूटर नं0 3493/2026

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं0- 300/2026

अमरजीत कुमार पुत्र अशोक दास निवासी ग्राम विलाडी थाना उजियापुर जिला समस्तीपुर, बिहार ।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य

..... विपक्षी

मु0 अ 0 सं0-722/2024
धारा- 137(2), 65(1) बी एन एस
एवं धारा - 5(I)/6 पोक्सो एक्ट
थाना- नन्दग्राम , गाजियाबाद

22.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त अमरजीत कुमार की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र मु0 अ 0 सं0-722/2024 धारा- 137(2), 65(1) बी एन एस एवं धारा - 5(I)/6 पोक्सो एक्ट थाना- नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद मामले में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त की पैरोकार विपाशा सरकार द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

वादी मुकदमा, डी.एल.एस.ए., सी०डब्लू०सी० एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किये गये । वादी मुकदमा तथा डी०एल०एस०ए० के विद्वान अधिवक्ता नोटिस तामीला के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये । पीडिता स्वंय न्यायालय में उपस्थित है।

Digitally signed by NIRAJ GAUTAM
Date: 2026.06.23 04:54:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा पीडिता तथा सी०डब्लू०सी० एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) को सुना गया ।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा थाना पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की कि उसकी पुत्री दिनांक 09.06.2024 को घर से बिना बताये किसी अज्ञात लडके के साथ चली गयी है। प्रार्थी द्वारा अपनी पुत्री को काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उसकी पुत्री के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया ।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त मुकदमे से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। पीडिता ने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी एन एस एस में अपनी उम्र 18 वर्ष बतायी है तथा प्रार्थी/अभियुक्त से अपनी मर्जी से शादी करना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री के साथ कोई दुराचार नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.02.2026 से जिला कारागार से निरूद्व है। प्रार्थी/अभियुक्त का न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भागने एवं गवाहान तोडने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि हेतु अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

सी०डब्लू०सी० एवं राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । पीडिता द्वारा जमानत का कोई विरोध नहीं किया गया ।

उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी एन एस एस में कथन किया है कि उसकी उम्र 18 वर्ष है तथा उसने अपनी मर्जी से अभियुक्त से शादी की है। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है कोई विवेचनात्मक कार्यवाही शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है ।

अतः प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा इस मामले के गुण–दोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अमर जीत कुमार की तरफ से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन एक–एक लाख रूपये के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को निम्नलिखित शर्तो का अन्डरटेकिंग दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये–

1. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा ।
2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरण, धमकी नहीं देगा , जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके ।
3. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा ।

(नीरज गौतम)

22.06.2026

विशेष न्यायाधीश(पोक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद